



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 473 राँची, शुक्रवार,
28 आषाढ़, 1946 (श०)
19 जुलाई, 2024 (ई०)

वित्त विभाग

अधिसूचना

18 जुलाई, 2024

अधि० सं० अर्थो (30) 13/2020/ 516 /बजट,

झारखण्ड राज्य प्रत्याभूति नियमावली, 2024

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 9 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

नियम

- (i) संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना
यह झारखण्ड राज्य प्रत्याभूति नियमावली, 2024 कहलायेगी।
- (ii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

- (iii) ये उन समस्त मामलों में, जहाँ राज्य सरकार, उधारों तथा उनपर ब्याज के प्रतिसंदाय के लिये भारत का संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन प्रत्याभूति देती है, लागू होंगे।

2. गारंटी का दायरा

राज्य सरकार को प्रायः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिये वित्तीय उपलब्धता को सुगम बनाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्ववाली कंपनियों आदि द्वारा ऋण लेने हेतु भारत का संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अधीन विहित सीमा तक गारंटी प्रदान करना पड़ता है। यद्यपि गारंटी ऋणभार का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऋण लेने वाली एजेंसियों द्वारा चूक की स्थिति में सरकार को ऋण चुकाना पड़ता है और तब गारंटी राज्य की देनदारी बन जाती है। इससे राज्य के वित्त पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने और गारंटी लेने-देने के मामले में बेहतर विवेचन और चयन सुनिश्चित करने के लिये, एवं गारंटी की मंजूरी, विस्तार तथा निरंतरता को विनियमित करने के निमित्त कतिपय दिशा-निर्देश आवश्यक हैं।

3. गारंटी का औचित्य

सरकार द्वारा दिये गये गारंटी के प्रस्ताव, जनहित के आधार पर न्यायोचित होने चाहिए। जनहित की अवधारणा के व्यापक अर्थ हैं और इसकी कोई अनम्य परिभाषा नहीं हो सकती है। निम्नांकित मामले सार्वजनिक हित के कतिपय उदाहरण केवल दृष्टांत के लिये हैं:-

- (i) भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के माध्यम से एस.टी., एस.सी. और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिये रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराये जानेवाले ऋण।
- (ii) यह ऋण लेने वाले संगठन के पूर्ववर्ती महंगे ऋणों को चुकाकर ऋणसंबंधी देनदारियों में कमी सुनिश्चित करेगा।
- (iii) वैसे ऋण, जो अनुदान या सबसिडी के रूप में केन्द्रीय सहायता का अधिकतम लाभ उठायेंगे।
- (iv) पूर्व में बेहतर प्रदर्शन के कारण राज्य सरकार के लिये आकस्मिक देनदारियों का कोई जोखिम नहीं है।
- (v) यह ऋण संबंधित संगठन का पुनर्गठन करेगा और उसके वास्तविक स्वरूप को आकार देगा और राज्य सरकार के बोझ को कम करेगा।
- (vi) राज्य सरकार और वित्तीय संस्थानों के बकाये का भुगतान करने में संबंधित संगठन की ओर से कोई चूक नहीं हो, जिसके लिये पूर्व में राज्य सरकार की गारंटी प्रदान की गई थी।

- (vii) उन अन्य कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिये कि गारंटी देना जनहित में कैसे है और यदि गारंटी नहीं दी गई तो यह जनहित को कैसे प्रभावित करेगा।

4. प्रशासी विभागों द्वारा गारंटी प्रस्ताव की जाँच

प्रशासी विभाग द्वारा गारंटी के प्रस्ताव की जाँच निम्नलिखित दृष्टि से की जायेगी :-

- (i) प्रस्तावित गारंटी में निहित सार्वजनिक हित।
- (ii) ऋण लेनेवाले की क्रेडिट-योग्यता (उधार पात्रता) देखना कि गारंटी देने में कोई अनुचित जोखिम नहीं हो।
- (iii) वित्तीय संस्थानों से बाजार-ऋण और परक्राम्य-ऋण के मामले में नियम एवं शर्तों को जाँचना कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरूप अनुमोदित हैं।
- (iv) अन्य शर्तें, यदि कोई हों, जिन्हें गारंटी देते समय सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिये, जैसे गारंटी की अवधि, जोखिम को कवर करने के लिये गारंटी शुल्क का उदग्रहण, प्रबंधन बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधित्व, संपत्ति पर बंधक या ग्रहणाधिकार, सरकार के समक्ष आवधिक रिपोर्ट और खातों को प्रस्तुत करना और उधार लेने वाली संस्था की निरंतर ऋण योग्यता (उधार पात्रता) का सत्यापन आदि।
- (v) कम प्राथमिकताओं वाले उद्देश्यों या कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिये गारंटी के प्रस्ताव नहीं दिये जाने चाहिये। बजट से इतर (Off Budget) सहायता के रूप में गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव के अन्य वैकल्पिक स्वरूपों, जो अधिक उपयुक्त और मूल्य-प्रभावी हो सकते हों, की विस्तृत जाँच प्रस्तोता विभाग द्वारा की जानी चाहिये। उदाहरण के लिये, ऋण गारंटी के प्रावधान के मामले में लगातार नुकसान उठानेवाले उद्यमों को समर्थन की बजाय ऐसे उद्यमों, जिनका नुकसान सरकार की मूल्य निर्धारण नीति, बजटीय सब्सिडी या प्रत्यक्ष सरकारी ऋण का परिणाम है, को समर्थन के पर्याप्त कारण हो सकते हैं और यह अधिक प्रभावी और कम खर्चीला हो सकता है।
- (vi) गारंटी की स्थिति में जोखिम आधारित प्रीमियमों को प्रभार्य करना या नकद भुगतान के लिये कटौती राशि निर्धारित करना (जोखिम आधारित प्रीमियम यह दर्शाता है कि हर एक देनदारी समान रूप से जोखिम भरा नहीं होता)। दूसरे शब्दों में गारंटी के हर प्रस्ताव का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से किया जायेगा और जोखिम के आकलन के आधार पर गारंटी शुल्क तय किया जायेगा। अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं में गारंटी शुल्क निर्धारित स्तर से अधिक होगा। सरकार अपने जोखिम को कम करने के लिये प्रथम नुकसान के बजाय अंतिम नुकसान का भुगतान कर सकती है। भुगतान करने के पूर्व भुगतान संबंधी सभी कटौतियों के संदर्भ में संतुष्ट होना अनिवार्य है।

गारंटी चूक के मामले में 'डिडक्टिबल (Deductible)' व्यवस्था के अधीन सरकार 70 प्रतिशत राशि का भुगतान करेगी तथा शेष 30 प्रतिशत राशि का भुगतान ऋण लेनेवाली संस्था द्वारा किया जायेगा। ऋण लेनेवाली संस्था को पहले 30 प्रतिशत का भुगतान करना होगा और फिर शेष राशि के निपटान के लिये सरकार से संपर्क करना होगा। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि ऋण लेनेवाली संस्था अपने दायित्व को पूरा करने के लिये अपनी आंतरिक परिसंपत्तियों/पूँजीगत संसाधनों की पहचान करे।

(vii) गारंटी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले प्रायोजक विभाग को परियोजना का पूरी तरह से विश्लेषण करना होगा और स्पष्ट करना होगा कि इसे सरकार की सहायता के बिना वित्तपोषित नहीं किया जा सकता है और नकदी प्रवाह, ऋण के पुनर्भुगतान के साथ-साथ ब्याज को आच्छादित करने के लिये पर्याप्त होगा।

(viii) कोई अन्य तरह का Instruments जैसे Letter of Comfort/Letter of Assurance/ Letter of Undertaking राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।

5. सरकारी गारंटी हेतु मानदंड

यह गारंटी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये केवल नियम-2 में उल्लिखित जनहित में दी जायेगी, जिसे योग्य पाये जाने पर नवीकृत किया जा सकेगा। सरकार की गारंटी पर ऋण प्राप्तकर्ता, वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना ऋण की राशि में आगे कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा या अपनी परिसंपत्ति को पृथक नहीं करेगा।

- (i) किसी भी व्यक्ति या निजी संस्था या कम्पनी को कोई सरकारी गारंटी नहीं दी जायेगी जबतक कि उसमें सरकार या अन्य किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का अंशदान 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
- (ii) ऋण प्राप्तकर्ता संगठन को कोई सरकारी गारंटी तबतक नहीं दी जायेगी, जबतक कि विगत दो वर्षों के लेखा का अंतिम निष्पादन तथा ऑडिट नहीं करा लिया गया हो।
- (iii) आधारभूत परियोजनाओं के विकास के हित में सरकार निष्पादन की गारंटी जारी रख सकती है।
- (iv) गारंटी कमीशन के रूप में सरकार एक प्रतिशत के अधीन शुल्क लेगी। हालाँकि, परियोजना की चूक और जोखिम के आधार पर सरकार कमीशन की दर को बढ़ा सकती है।

6. वित्त विभाग द्वारा गारंटी प्रस्ताव की जाँच

गारंटी प्रस्ताव के परीक्षण के समय वित्त विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कुल बकाया सरकारी गारंटी प्रत्येक वर्ष अप्रैल की पहली तारीख को महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा पुस्तकों में

प्रदर्शित द्वितीय पूर्ववर्ती वर्ष के राज्य स्वकर एवं गैर-कर राजस्व के 60 प्रतिशत से अधिक न हो। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रारम्भ करके आगे किसी भी वित्तीय वर्ष में पूर्ववर्ती वर्ष के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.5 प्रतिशत से अधिक की राशि के लिये गारंटी नहीं देगी।

7. गारंटी के लिये कैबिनेट की मंजूरी

सामान्यतः गारंटी की प्रारंभिक मंजूरी, उसके विस्तार और नवीकरण के सभी मामलों को प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग के पूर्व परामर्श के साथ संलेख के रूप में कैबिनेट की मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये। जाँच और सहमति हेतु वित्त विभाग को संलेख भेजते समय प्रशासी विभाग को संगठन की विस्तृत स्थिति सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से शेयर पूँजी निवेश, लाभ-हानि की स्थिति, सरकार द्वारा दिया गया ऋण (चुकाई गई राशि और बकाया शेष), पूर्व में सरकार द्वारा दी गई गारंटी (यदि दी गई हो) और कर्मचारियों की स्थिति (स्वीकृत बल और कार्यरत बल), अनुबंध कर्मियों को रखने/हटाने की स्थिति, उपर्युक्त पैरा 2 और 3 में परिभाषित जन हित के लिये सरकार की गारंटी का औचित्य, ऋण अदायगी के लिये संगठन की क्षमता और सरकार को निर्धारित दर पर गारंटी कमीशन के भुगतान की सहमति आदि को स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिये। कैबिनेट संलेख के साथ-साथ प्रशासी विभाग को गारंटी प्रस्ताव के बेहतर मूल्यांकन हेतु संगठन की स्पष्ट स्थिति को संक्षिप्त रूप में विहित प्रपत्र/निर्धारित चेकलिस्ट में अनुलग्नक-1 में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अति आवश्यक मामलों में वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री की मंजूरी से गारंटी दी जा सकती है परन्तु ऐसे मामलों को संपुष्टि के लिए इसे घटनोत्तर स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

8. गारंटी का कमीशन

किसी भी मामले में ऋण के परिसमापन तक प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्राप्त या बकाया राशि के अनुसार गारंटी की अधिकतम राशि पर गारंटी कमीशन वसूल किया जायेगा। गारंटी की मंजूरी और ऋण के परिसमापन के लिये किसी भी अवधि के भाग को गारंटी के कमीशन की गणना हेतु एक वर्ष की अवधि माना जायेगा। ऋण लेनेवाले संगठनों द्वारा वित्तीय संस्थानों से तदर्थ ऋण लेने की स्थिति में एक वर्ष के लिये भी निर्धारित दर पर गारंटी कमीशन का भुगतान किया जायेगा। गारंटी कमीशन “0075-विविध सामान्य सेवा-108-गारंटी शुल्क” शीर्ष में जमा किया जायेगा और ट्रेजरी चालान की प्रति प्रशासी विभाग तथा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

(1) गारंटी शुल्क जोखिम के स्तर एवं अवधि के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे :-

श्रेणी	5 वर्षों से कम या 5 वर्षों के बराबर	5 वर्षों से अधिक
ए	0.50	0.60
बी	0.70	0.90

- गारन्टी शुल्क प्रथम वर्ष में पूरे गारन्टी के रकम पर देय होगा जब ऋण का समझौता प्रशासी विभाग के साथ होगा।
- इसी तरह प्रत्येक वर्ष बकाया गारन्टी पर सामान्य ब्याज के साथ ऋण आहरण के रकम पर गारन्टी शुल्क देय होगा। गारन्टी शुल्क प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को देय होगा। 30 अप्रैल तक गारन्टी शुल्क प्राप्त नहीं होने पर यह दर दुगुना हो जाएगा।

गारन्टी शुल्क के आकलन को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है श्रेणी 'ए' में 8 वर्षों के लिए गारन्टी शुल्क :-

क्रम सं०	गारन्टी शुल्क का आकलन	गारन्टी शुल्क भुगतान की देय तिथि	ऋण का रकम (करोड़ में)	गारन्टी शुल्क का दर	दिनों की संख्या	गारन्टी शुल्क का देय रकम
1.	ऋण का समझौता 20 दिसम्बर, 2020 को किया गया (गारन्टी 500 करोड़ रुपये)	20 दिसम्बर, 2020	500.00	0.60%	102 दिन 20.12.2020 से 31.03.2021 तक	83,83,562
2.	बकाया मूलधन + सामान्य ब्याज (1 अप्रैल, 2021 से बाद के वर्षों में घटे हुए मूलधन + ब्याज पर सामान्य ब्याज पर)	प्रत्येक वर्ष का 1ली अप्रैल (30 अप्रैल तक भुगतान बिना दण्ड शुल्क के भुगतान किया जाना है।	212.00 करोड़ 12 करोड़ सामान्य ब्याज है, जिसमें माना गया कि 200 करोड़ रुपये का आहरण किया गया है।	0.60%	365 दिन	1,27,20,000

(2) Guarantee Redemption Fund :--

प्राप्त गारन्टी शुल्क की राशि को लोक लेखा में Guarantee Redemption Fund में बजट प्रावधान करके प्रत्येक वर्ष जमा किया जाएगा।

9. गारंटी की मंजूरी

किसी नई गारंटी को मंजूरी देते समय गारंटी के विगत मामलों (यदि कोई हो), जो ऋण लेनेवाली संस्था के पक्ष में दिये गये हो, की विधिवत् जाँच की जानी चाहिये तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने हेतु गारंटी मंजूरी आदेश में उन गारंटीकृत ऋणों के विरुद्ध बकाया राशि की स्थिति उपदर्शित होनी चाहिये। इसके लिये परिशिष्ट-II एक मानक प्रारूप संलग्न किया गया है, जिसका उपयोग गारंटी की मंजूरी हेतु किया जाना चाहिये और गारंटी मंजूरी आदेश की प्रतियाँ महालेखाकार (ऑडिट), झारखण्ड, वित्त विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराई जानी होगी।

10. समझौते का निष्पादन

- (i) गारंटी मंजूर होने के बाद ऋण ग्रहणकर्ता/उधार लेने वाली संस्था द्वारा मूल, ब्याज तथा गारंटी कमीशन के भुगतान तथा अन्य दायित्वों के उचित निर्वहन के लिये परिशिष्ट-III में निर्धारित और संलग्न फार्म में सरकार के साथ एक समझौता किया जायेगा। गारंटी के लिये सहमति देते समय निर्धारित नियम और शर्तों के संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा समझौते की जाँच की जायेगी।
- (ii) यदि उधार लेने वाली संस्था ने प्रशासी विभाग द्वारा अनुमोदित गारंटी के आधार पर वित्तपोषण संस्था से ऋण लेने के समझौते का निष्पादन नहीं किया है, तो प्रशासी विभाग वित्त विभाग की पूर्वानुमति से गारंटी को रद्द करने के लिये तत्काल कदम उठायेगा, ताकि वित्त विभाग द्वारा गारंटी शुल्क नहीं लिया जाये।

11. गारंटी में कटौती

ऋण लेने वाली संस्था द्वारा पुनर्भुगतान के बाद गारंटी में कटौती/पुनर्विवेचन गुणागुण के आधार पर ऋणदातृ संस्था की सहमति/अनापत्ति तथा वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बाद किया जायेगा, ताकि गारंटी कमीशन घटी हुई राशि पर ही अधिरोपित किया जायेगा।

12. ऋण का परिसमापन और गारंटी दस्तावेजों को रद्द करना

जब भी कोई गारंटीकृत ऋण पूरी तरह से समाप्त हो जाय तो ऋण लेनेवाले संस्थान को वित्तीय संस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिये और सरकारी गारंटी को बंद करने और इसके मूल दस्तावेजों को निरसित करने के लिये प्रशासी विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजना चाहिये, ताकि ऋण के परिसमापन के पश्चात वित्त विभाग द्वारा गारंटी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाय। इस तरह निरसन नहीं हो पाने की स्थिति में ऋण दातृ संस्थान गारंटी कमीशन का भुगतान जारी रखेगा, जबतक कि ऐसा निरसन नहीं हो जाता।

13. खाता-बही का संधारण तथा आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

प्रशासी विभाग, गारंटी की स्वीकृत राशि, लिये गये ऋण की वास्तविक राशि, वित्तीय संस्थान का नाम, चुकाया गया ऋण (मूल और ब्याज), शेष बकाया राशि, गारंटी के कमीशन की दर, चुकाया गया गारंटी का कमीशन, बकाया गारंटी के कमीशन के ब्यौरे दर्ज करते हुए कार्यालयवार गारंटी लेजर का संधारण करेगा, जो महालेखाकार (ऑडिट), झारखण्ड के लेखा परीक्षा के अध्यक्ष होना तथा वित्त विभाग को नियतकालिक प्रत्येक छह माह पर यथा (जुलाई के पहले सप्ताह और जनवरी पहले सप्ताह) प्रतिवेदन भेजेगा, ताकि वित्त विभाग द्वारा राज्य को भविष्य में होने वाली देनदारियों पर राज्य विधायिका के समक्ष रखे जानेवाले स्पष्टीकरण ज्ञापन के रूप में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया जा सके। इस खाता-बही का संधारण परिशिष्ट-IV में संलग्न प्रारूप के अनुसार किया जायेगा।

14. गारंटी की समीक्षा

गारंटी के प्रत्येक मामले की प्रशासी विभाग द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार आवधिक समीक्षा की जानी चाहिये ताकि यह देखा जा सके कि गारंटी जारी रखने की आवश्यकता है या नहीं तथा सरकारी हितों की रक्षा जारी है। इसके लिये उधार लेने वाली संस्था के प्रकाशित लेखों की छानबीन की जानी चाहिये और समय-समय पर उधार लेने वाली संस्थाओं के साथ-साथ प्रबंधन बोर्ड से आवधिक रिपोर्ट आदि की मांग की जानी चाहिये। जब भी औचित्य प्रतीत हो, प्रशासी विभाग द्वारा गारंटी वापस लेने की कार्रवाई की जानी चाहिये। उधार लेनेवाली संस्था को प्रशासी विभाग और वित्त विभाग को अर्द्धवार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा।

15. ऋण अदायगी में चूक और सरकार का दायित्व

- (i) ऋण/ब्याज की अदायगी में उधार लेने वाली संस्था की ओर से चूक होने पर गारंटी के निर्वहन में सरकार द्वारा ऋणदातृ संस्थान को भुगतान की गई राशि उधार लेने वाली संस्था पर बकाया राशि के रूप में माना जायेगा। यह राशि सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित ब्याज दर के साथ, सरकार द्वारा उधार लेने वाली संस्थाओं को देय अनुदान, सब्सिडी, यदि कोई हो, से वसूली योग्य होगी।
- (ii) गारंटी की वैधता की अवधि के दौरान ऋणदातृ संस्था के प्रति ऋण लेने वाली संस्था के द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक होने के कारण ऋणदातृ संस्था को यदि कोई नुकसान/क्षति होती है, तो उसे गारंटी संबंधित दावा सरकार के पास गारंटी अवधि की समाप्ति के एक महीने के भीतर दायर करना होगा, अन्यथा उक्त के संबंध में सरकार की देनदारी समाप्त हो जायेगी।

- (iii) चूक के मामले में गारंटी का आच्छादन केवल मूलधन और सामान्य ब्याज के भुगतान तक ही सीमित रहेगा। झारखण्ड सरकार किसी दंडात्मक ब्याज अथवा किसी अन्य शुल्क के भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।

16. गारंटी का प्रतिसंहरण

यदि गारंटी की निरंतरता के दौरान किसी भी समय, सरकार को यह महसूस हो कि ऋणदातृ अथवा ऋण लेने वाली संस्था की कोई गतिविधि राज्य सरकार के हित में हानिकारक है, तो ऋणदातृ संस्था के साथ किये गये एग्रीमेंट की शर्तों के अध्यक्षीन (यदि कोई हो) पश्चातवर्णित विकल्पस्वरूप गारंटी के प्रतिसंहरण के लिये ऋणदातृ संस्था तथा ऋण लेनेवाली संस्था को 30 (तीस) दिनों का पूर्व नोटिस देगा एवं इस प्रतिसंहरण से भावी लेनदेन प्रभावित होगा। जब कभी उचित हो, प्रशासी विभाग वित्त विभाग को सूचना देकर गारंटी को प्रतिसंहरित कर सकती है।

17. राज्य विधानसभा के समक्ष रखना

वर्तमान में, वित्त विभाग झारखण्ड विधान सभा के समक्ष गारंटी की स्थिति को व्याख्यात्मक संलेख और परिशिष्ट के रूप में रख रहा है। इसके अलावा गारंटी की स्थिति “बजट एक नजर में” में भी उपदर्शित की जा रही है, जिसे झारखण्ड विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा। परन्तु, ये सूचनायें राज्य सरकार की पहले की देनदारियों की मात्रा को उपदर्शित करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये, यह आवश्यक है कि गारंटी की स्थिति को झारखण्ड विधान सभा के समक्ष अलग से रखा जाय और जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (i) संस्थावार कुल गारंटी, बकाया गारंटी, देय फीस की गारंटी शुल्क भुगतान और बकाया गारंटी शुल्क।
- (ii) उन संस्थानों का विवरण, जिनसे गारंटीकृत ऋण प्राप्त हुआ, गारंटीकृत ऋण की स्थिति तथा उनपर चुकाया अथवा नहीं चुकाया गया ब्याज का भुगतान।
- (iii) संबंधित संस्था द्वारा समय पर आकस्मिक देनदारियों का निर्वहन नहीं होने के कारण हुई चूक को उन्मोचित करने हेतु वित्त विभाग को प्राप्त नोटिस।
- (iv) उन्मोचित तथा उन्मोचन की संभावनावाली आकस्मिक देनदारियों का ब्यौरा।
- (v) ऋण और गारंटी की स्थिति और अन्य देनदारियाँ, यदि कोई हो।
- (vi) राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी से उत्पन्न होने वाली प्रासंगिक जानकारी, जो राज्य के वित्त को प्रभावित करे।

18. प्रत्येक विभाग जिनके द्वारा गारंटी संबंधित कम्पनी/संस्था को दिलाई गई है, वे विभाग निश्चित रूप से गारंटी की समीक्षा करेंगे। वे देखेंगे कि गारंटी लेने वाले संस्था ऋण/ब्याज

भुगतान ससमय ऋणदाता को कर रहे हैं, गारन्टी शुल्क ससमय जमा किया जा रहा है।
गारन्टी की समीक्षा प्रतिवेदन वित्त विभाग को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को उपलब्ध करायेंगे।

वित्त विभाग में गारन्टी का पंजी संधारित किया जाएगा, जिसमें वर्णित होगा कि सभी संबंधित विभाग से गारन्टी का समीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त है :-

- (i) गारन्टी का रिकार्ड,
- (ii) गारन्टी से संबंधित सूचनाओं को समय-समय प्राप्त करना,
- (iii) इन सूचनाओं को संधारित करना कि गारन्टी की निगरानी की जा रही है तथा
- (iv) गारन्टी शुल्क की प्राप्ति का संधारण।

19. यह सरकारी गारंटी को विनियमित करने हेतु पूर्व में निर्गत सभी निर्देशों स्पष्टीकरणों का स्थान लेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार,

प्रशांत कुमार,
सरकार के सचिव ।

परिशिष्ट-I**(गारंटी नियम-7 से सम्बद्ध)****प्रशासी विभाग द्वारा गारंटी प्रस्ताव का जाँच-पत्र**

1. संस्था का नाम, जिसके पक्ष में गारंटी प्रस्तावित है :
2. संस्थान की स्थिति (एक पारा में) :
3. विभिन्न स्रोतों से अबतक निवेशित पूँजीशेयर :
 - (i) सरकार द्वारा
 - (ii) गैर सरकारी
 - (iii) अन्य (यदि कोई हो)
4. (i) ऑडिट के अनुसार संस्थान का पिछले तीन वर्षों की लाभ/हानि
 (ii) अबतक घोषित लाभांश (Dividend)
5. (i) विगत वित्त वर्ष के अंत तक स्वीकृत सरकारी ऋण की प्रगामी राशि
 (ii) विगत वर्ष के अंत तक चुकाये गये ऋण की राशि
 (iii) विगत वर्ष के अंत तक बकाया ऋण
 - (क) मूलधन
 - (ख) ब्याज
- (iv) क्या सरकारी ऋण का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, यदि नहीं तो उसका संक्षिप्त कारण
6. (i) स्वीकृत गारंटी की प्रगामी राशि
 (ii) गारंटीशुदा बकाया ऋण
 - (क) मूलधन
 - (ख) ब्याज
- (iii) क्या गारंटीशुदा ऋण का भुगतान (मूलधन + ब्याज) नियमित है, यदि नहीं तो इसका संक्षिप्त कारण
- (iv) वर्ष की पहली अप्रैल को बकाया गारंटी फीस
- (v) अद्यतन गारंटी फीस की राशि
- (vi) अद्यतन बकाया गारंटी फीस की राशि
- (vii) गारंटी फीस के भुगतान में चूक का कारण, यदि कोई हो

7. अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advance)
- (i) स्वीकृत राशि तथा स्वीकृति की तिथि
 - (ii) अद्यतन बकाया की राशि
 - (क) मूलधन
 - (ख) ब्याज
 - (iii) क्या अर्थोपाय अग्रिम का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है, यदि नहीं तो संक्षिप्त कारण
8. कार्मिकों की स्थिति
- (i) स्वीकृत बल
 - (ii) वर्तमान बल (कार्यरत)
 - (iii) कार्यरत संविदा कर्मी, यदि कोई हो
 - (iv) संविदाकर्मी को हटाने हेतु उठाये गये कदम
9. वर्तमान में मांगी गई गारंटी की राशि
10. ऋण गारंटी अनुमत होने हेतु निम्न बिन्दु :-
- (i) प्रस्तावित सरकारी गारंटी का जनहित के प्रति औचित्य
 - (ii) ऋण लेने वाले संस्था की ऋण पुनर्भुगतान की स्थिति
 - (iii) ऋण लेने वाली संस्था द्वारा सरकार को गारंटी शुल्क भुगतान की स्थिति

ऋण लेने वाली संस्था के प्रमुख का
हस्ताक्षर एवं मुहर

विभाग के सचिव का
प्रतिहस्ताक्षर

परिशिष्ट-II

(गारंटी नियम-9 से सम्बद्ध)

सरकारी गारंटी की स्वीकृति हेतु प्रारूप

सेवा में,

प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष।

विषय : के उद्देश्य से के पक्ष में
 से रु० का ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार की
 गारंटी की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार योजना के कार्यान्वयन के लिये
 (ऋण लेने वाली संस्था) को (वित्तीय संस्थान का नाम) से
 रु० (रुपये) का प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर
 से ऋण प्राप्त करने के लिये, राज्य सरकार की गारंटी संसूचित की जाती है, जिसका पुनर्भुगतान
 वर्षों में किया जायेगा।

..... प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन ऋण के समापन तक प्रत्येक वर्ष एक बार प्रभार्य
 होगा।

ऋण लेने वाली संस्था के पूर्ववर्ती ऋण साथ ही वर्तमान ऋण तथा पुनर्भुगतान आदि का
 विस्तृत ब्योरा विहित प्रारूप में परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

महालेखाकार (ऑडिट), झारखण्ड को सूचित किया जा रहा है।

इसमें वित्त विभाग की अनुमति पत्र संख्या, दिनांक द्वारा
 प्राप्त है।

स्वीकृति प्राधिकारी

ज्ञाप सं. :

दिनांक.....

प्रतिलिपि : प्रारूप सहित (ऋणदातृ संस्था) को सूचनार्थ एवं आवश्यक
 कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्वीकृति प्राधिकारी

ज्ञाप सं. :.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि : प्रारूप सहित महालेखाकार (ऑडिट), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्वीकृति प्राधिकारी

ज्ञाप सं.

दिनांक.....

प्रतिलिपि : प्रारूप सहित अन्य संबंधित प्राधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्वीकृति प्राधिकारी

ज्ञाप सं.

दिनांक.....

प्रतिलिपि : प्रारूप सहित वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्वीकृति प्राधिकारी

ज्ञाप सं.

दिनांक.....

प्रतिलिपि : प्रारूप सहित भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, चतुर्थ तल, आर०आर०डी०ए० भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्वीकृति प्राधिकारी

सरकारी गारंटी की स्वीकृति हेतु प्रारूप

1. ऋण लेने वाले संस्थान का नाम:
2. ऋणदाता वित्तीय संस्थान का नाम:
3. स्वीकृत गारंटी की राशि
4. ऋण का उद्देश्य
5. ऋण की अवधि
6. ब्याज दर
7. पुनर्भुगतान की प्रणाली
8. ऋण के साथ संलग्न अन्य शर्तें, यदि कोई हो
9. गारंटी शुल्क की दर
10. अद्यतन प्रगामी गारंटी की समग्र राशि (वर्तमान के साथ)
11. पूर्ववर्ती गारंटी के विरुद्ध लिये गये ऋण की समग्र राशि
12. ऊपर प्रदर्शित किये गये ऋण के विरुद्ध दिनांक को बकाया राशि

	व्यतिक्रमित किस्त की राशि (Defaulted Installement Amount)	अवशेष राशि, जिसका भुगतान बाकि है (Balance Not Due)	कुल शेष राशि (Total Balance)
1	2	3	4
(क) मूलधन			
(ख) ब्याज			

13. व्यतिक्रमित मूलधन तथा ब्याज के समाशोधन हेतु की गई कार्रवाई

स्वीकृति प्राधिकारी

परिशिष्ट-III**(गारंटी नियम-10 से सम्बद्ध)****समझौते के निष्पादन हेतु प्रारूप**

यह अनुबंध आज दिनांक को जिसका कार्यालय में है, जिसे एतद् पश्चात “प्रधान ऋणी” कहा जायेगा (इस पद के अंतर्गत, जबतक कि अपवर्जित या संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसका उत्तराधिकारी तथा अधिन्यासी अंतर्विष्ट समझा जायेगा) प्रथम पक्ष होगा तथा झारखण्ड के राज्यपाल, जिन्हें एतद् पश्चात “सरकार” कहा जायेगा (इस पद के अंतर्गत, जबतक कि अपवर्जित या संदर्भ के विरुद्ध न हो, कार्यालय में उस पद का उत्तराधिकारी तथा अधिन्यासी अंतर्विष्ट समझा जायेगा) दूसरा पक्ष होगा, के बीच किया जाता है।

जबकि प्रधान ऋणी ने सरकार से गारंटी हेतु अनुरोध किया है ताकि प्रधान ऋणी द्वारा को जिसे एतद्पश्चात ऋणदाता कहा गया है, बकाया भुगतान रु० के ऋण, प्रधान ऋणी को ब्याज सहित चुकाने के लिये आपस में सहमत हुये हैं जैसा कि इस समझौते की अनुसूची के निबंधन एवं शर्तों में दिया गया है, के आधार पर तथा एतद्पश्चात आनेवाले निबंधन एवं शर्तों के अधीन, जिससे सरकार भी सहमत है, प्रधान ऋणी के पक्ष में रु० की गारंटी विभाग ळण्ण् संख्या दिनांक (प्रति संलग्न) की स्वीकृति दी जाती है।

अब यह करारनामा इनमें तथा निम्नलिखित पक्षों के बीच एतद्द्वारा हुई सहमति का साक्षी है:-

1. प्रधान ऋणी वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या, दिनांक में यथा विहित गारंटी नियमों के अधीन ऋण-समापन होने तक अधिकतम गारंटी राशि पर झारखण्ड सरकार को गारंटी फीस के रूप में % की दर से भुगतान करने पर सहमत है।
2. प्रधान ऋणी द्वारा सरकार को यथा वर्णित फीस का समुचित भुगतान करने में चूक/व्यतिक्रम होने पर सरकार को प्राप्त किसी अन्य अधिकार और उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 अथवा तत्समय प्रवृत्त उसके किसी अन्य वैधानिक संशोधनों के अधीन सरकार को यह अधिकार और हकदारी होगी कि वह प्रधान ऋणी पर बकाया और देय राशि को पब्लिक डिमांड के रूप में वसूल कर ले।
3. यदि प्रधान ऋणी मूलधन का पुनर्भुगतान करने और/अथवा देय तारीखों पर ब्याज का भुगतान करने में चूक करता है और जिसका सरकार द्वारा गारंटी की शर्तों के अधीन ऋणदाता को भुगतान करना आवश्यक है तो सरकार द्वारा ऋणदाता को दी गई राशि (मूलधन और ब्याज) को ऋण के रूप में माना जायेगा, प्रधान ऋणी से वसूली योग्य होगी, जिसका ब्याज दर ऋणदाता द्वारा वसूले गये ब्याज दर से कम नहीं होगा। इस तरह के ब्याज की गणना सरकार द्वारा ऋणदाता को किये गये भुगतान की तारीख से की जायेगी। पुनर्भुगतान की अन्य शर्तें जैसा पुनर्भुगतान की अवधि उचित रूप से तय किये जायेंगे।

परन्तु यह कि यदि प्रधान ऋणी निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार राशि का भुगतान नहीं करता है तो सरकार को उसे प्राप्त किसी भी अन्य अधिकारों और उपायों के लिये पूर्वाग्रह के बिना बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन सार्वजनिक माँग के रूप में या तत्संबंधी किसी वैधानिक संशोधनों के अधीन प्रधान ऋणी से पूरी राशि की वसूली का अधिकार होगा।

4. सरकार के उक्त गारंटी के निर्वहन के दौरान प्रधान ऋणी के लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर प्रत्येक वर्ष झारखण्ड में वित्त विभाग और महालेखाकार, झारखण्ड को प्रमुख देनदार अपनी संपत्ति और देनदारियों, लाभ और हानि आदि की पूरी जानकारी देने के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक योग्य लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित विवरण भेजेगा। यदि हालाँकि उपर्युक्त कथित अवधि के भीतर खातों का ऑडिट नहीं किया गया हो, तो प्रधान ऋणी बिना ऑडिट वाले खातों को ही प्रस्तुत करेगा। जैसे ही खातों का ऑडिट किया जाता है, उसे प्राप्त के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये। प्रधान ऋणी को गारंटी के निर्वहन के दौरान हर समय जब भी सरकार अथवा महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा ऑडिट और निरीक्षण हेतु आवश्यक हो, अभिलेख, खाते, भंडार और स्टॉक आदि को प्रस्तुत करना होगा।
5. उपर्युक्त पर विचारोपरान्त प्रधान ऋणी इस बात पर सहमत हों कि वित्तीय दायित्वों के संदर्भ में सरकार को विश्वस्त करने के लिये ऋणदाता के पक्ष में सरकार द्वारा निष्पादित/निष्पादित किये जाने की गारंटी के विलेख द्वारा मुख्य देनदार (प्रधान ऋणी) को अपनी संपूर्ण चल और अचल, यदि कोई हो, के अधीन दोनों तरह की संपत्ति को बंधक रखने की आवश्यकता हो सकती है।
6. यदि गारंटी के निर्वहन की निरंतरता के दौरान किसी भी समय सरकार को यह प्रतीत हो कि प्रधान ऋणी और ऋणदाता की गतिविधियाँ राज्य सरकार के हित के लिये हानिकारक हैं, तो राज्य सरकार के पास यह अधिकार होगा कि उधार देने वाले संस्थान तथा ऋणी को 30 दिनों के पूर्व नोटिस देने के बाद, भविष्य के लेनदेन हेतु आच्छादित गारंटी को रद्द किया जा सके।

विधि द्वारा यथाविहित रीति से प्रधान ऋणी ने जहाँ हस्ताक्षर किया है और अपना/अपने सामान्य मुहर को अंकित किया है साक्षी के रूप में वहाँ झारखण्ड राज्यपाल की ओर से सरकार के सचिव, ... विभाग अपना हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुहर अंकित करेंगे इसके साथ दस्तावेज के शीर्ष पर इंगित तिथि अंकित की जायेगी।

ऋणदातृ द्वारा दिये गये ऋण के निबंधन एवं शर्तों की अनुसूची

1. ऋण की राशि
2. ऋण की अवधि
3. ऋण ब्याज दर
4. पुनर्भुगतान अवधि
5. प्रस्तावित प्रतिभूति

श्री, प्रबंध निदेशक आदि के निदेशक बोर्ड (साधारण निकाय) के संकल्प संख्या दिनांक के अनुसार निम्न साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरांकित तथा निर्गत किया जाता है :-

नाम और पूरा पता

1. ..
2. ..

सरकार के सचिव, झारखण्ड

..... विभाग

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से निम्न साक्षियों की उपस्थिति में

नाम और पूरा पता

1. ..
2. ..

परिशिष्ट-V**गारन्टी प्रस्ताव के जोखिम के आकलन का रूप-रेखा (Frameworks)**

वित्त विभाग में कम्पनी/संस्था से गारन्टी प्रस्ताव भेजने के पूर्व प्रशासी विभागों द्वारा इस Frameworks से कम्पनी के जोखिमपूर्ण प्रस्ताव का आकलन आवश्य किया जाय।

1. ऋण सेवा कवरेज अनुपात (Debt Service Coverage Ratio) :-

यह अनुपात कम्पनी की वित्तीय क्षमता को दर्शाता है कि कम्पनी अपने परिचालन आय से लिए गए अल्पकालीन एवं दृढ़कालीन ऋण एवं ब्याज का भुगतान करने में सक्षम है।

ब्याज, कर, हास एवं ऋण भुगतान के पूर्व का आमद

(Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization)

ब्याज + मूलधन (Interest + Principal)

श्रेणी ए	श्रेणी बी
1.25 से ज्यादा या उसके बराबर	1.25 से कम

यह अनुपात बताता है कि ब्याज एवं मूलधन भुगतान का योग यदि 100 रुपये है तो उपरोक्तानुसार आमद 125 रुपये होना चाहिए।

2. चालू अनुपात (Current Ratio) :-

यह बताता है कि कम्पनी अपनी चालू सम्पत्ति से अल्पकालीन ऋण का भुगतान करने में सक्षम है।

चालू सम्पत्ति (Current assets)

चालू दायित्व (Current liabilities)

श्रेणी ए	श्रेणी बी
1.5 से अधिक या बराबर	1.5 से कम

यह अनुपात बताता है कि कम्पनी का चालू सम्पत्ति अल्पकालीन ऋण से डेढ़ गुणा ज्यादा होना चाहिए।

3. डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात (Debt-to-Equity Ratio) :-

यह कम्पनी के भविष्य में ऋण भुगतान की क्षमता को दर्शाता है।

कुल दायित्व (Total liabilities)**अंशधारकों का हिस्सा पूँजी (Shareholder's equity)**

श्रेणी ए	श्रेणी बी
1 से कम या बराबर	1 से अधिक

यह अनुपात बताता है कि कुल दायित्व कुल हिस्सा पूँजी से कम होना चाहिए।

सकल जोखिम	1.5 या उसके बराबर	1.5 से अधिक
	श्रेणी ए	श्रेणी बी

उदाहरण : उपरोक्त जोखिम आकलन की रूप-रेखा को एक उदाहरण से ऐसा समझा जा सकता है।

	DSCR*	D/E*	C/R*	गणना = औसत (औसत गणना का आकलन)	सकल जोखिम
कम्पनी 1	1.75	0.25	2.10	$= 1(1+1+1)/3$	श्रेणी ए
कम्पनी 2	1.20	1.20	1.50	$= 1.67(2+2+1)/3$	श्रेणी बी
कम्पनी 3	0.90	1.80	0.8	$= 2(2+2+2)/3$	श्रेणी बी

Note :-- सामान्य सकल जोखिम का आकलन औसत के आधार सभी अनुपात के लिए मूल्य 1 और 2 दिया गया है, का आकलन किया जा सकता है, यह मानकर 1 एवं 2 मूल्य श्रेणी 'ए' या 'बी' को दिया गया है।

* तीन वर्षों के औसत के आधार पर कम्पनी का जोखिम का आकलन किया जाना ज्यादा श्रेयस्कर होगा।

प्रशासी विभाग द्वारा संधारित किये जानेवाले खाता-बही का प्रारूप

[illegible]

Finance Department

----- Notification

Notification No. vFkk ¼30½ 13@2020 516@c t V]

Jharkhand State Guarantee Rules, 2024

In exercise of the Powers conferred by section 9(1) of Jharkhand Financial Responsibilities and Budget Management Act, 2007, the Governor of Jharkhand is pleased to make the following rules :-

Rule

1. Short title, extent and commitment :

- (i) These rules may be called Jharkhand State Guarantee Rules, 2024.
- (ii) These rules shall come into force with effect from date of its publication in the official Gazette.
- (iii) These rules shall apply to all where State Government gives guarantee for Borrowing and Interest under article 293 of the constitution of India.

2. Scope of Guarantee

The State Govt. are often required to provide guarantees for borrowings by public sector undertakings, co-operative institutions, urban local bodies and State owned companies etc. under Article 293(1) of the constitution of India within such limit as may be prescribed for facilitating flow of funds to the priority sectors. Although the guarantees do not form part of the debt burden, but in the event of default by the borrowing agencies, the Govt. have to repay the debt as the guarantee becomes the liability of the State. This also has an adverse impact on the State finances. For ensuring fiscal sustainability and ensuring more discretion and selectivity in the matter of taking and giving of guarantees, and to regulate sanction, extension of guarantees and their continuance, it is considered necessary to lay down certain guidelines.

3. Justification for Guarantee

The proposal for guarantee by Govt. must be justified on the grounds of the public interest. The concept of the public interest has wide ranging connotations and does not admit of a precise definition. However, cases cited below will illustrate some of the examples of public interest. These are illustrative only:-

- (i) Loans to be made available at concessional rate of interest meant for the development of the S.T., S.C. and Other Backward people through the schemes approved by Govt. of India or State Government.
- (ii) The loan will ensure reduction of debt servicing liabilities of the concerned organisation by way of repaying the earlier costly loans.
- (iii) The loans which will leverage more Central Assistance in the shape of grant or subsidy.
- (iv) There is no risk of contingent liabilities accruing for the State Govt. because of better performance in the past.
- (v) The loan will lead to restructuring and right sizing of the concerned organisation and reduce the burden on the State Govt.
- (vi) There is no default on the part of the concerned organisation in paying the dues of State Govt. and financial institutions for which State Govt. guarantees were provided in the past.
- (vii) Any other reason to be recorded in writing as to how it is in public interest to be given guarantee and if not given how it will affect the public interest.

4. Examination of Guarantee Proposal by the Administrative Departments

The proposal for guarantee should be examined by the Administrative Department as a proposal for loan with reference to:-

- (i) Public interest which the proposed guarantee will serve.
- (ii) Credit-worthiness of the borrower to see that no undue risk is involved in giving the guarantee.
- (iii) Terms and the conditions of the borrowings in case of market borrowings and negotiated loans from financial institutions to see that they are in conformity with those approved by the Reserve Bank of India;
- (iv) Other conditions, if any, which should also be imposed by Govt. while giving guarantee i.e period of guarantee, levy of guarantee fee to cover the risk, representation of Government on the Board of Management, mortgage or lien on assets, submission of periodical reports and accounts to Government and verification of continued credit-worthiness of the borrower etc.
- (v) Guarantees may not be proposed for pursuing low priority objectives or programmes. Proposal for grant of guarantee as an off-budget support should also be examined comprehensively by the proposing Department against other

alternative forms of support which may be more appropriate and cost-effective. For example, in the case of provision of credit guarantees to enterprises that continually incur losses, while there may be good reasons to support such enterprises if their losses are a result of government's pricing policy, budgetary subsidies or direct government loans may be a more effective and less costly option.

- (vi) Charging risk-based premia or establishing deductibles for cash payouts in the event of a guarantee invocation. Risk-based premia would recognize that not all liabilities assumed may be equally risky. In other words, every proposal for guarantee will be assessed independently and the guarantee fee would be fixed, based on the assessment of risk. The more risky projects would have a guarantee fee greater than the base level prescribed. Government may also reduce its exposure by paying for the last rather than the first loss, by setting deductibles that must be satisfied before it makes payment. Under the 'deductible' arrangement, in case of default of guarantee, Government would pay 70% of the amount in default and the balance 30% would be paid by the borrowing institution. The borrowing institution would first have to pay 30% and then approach the Government for settling balance amount. This would require that the borrowing institution identifies resources from its own internal resources/assets to meet its obligation.
- (vii) Before guarantee proposal is tendered, the sponsoring Department must thoroughly analyse the project and demonstrate that it cannot be financed without government's assistance and that cash flows will be adequate to cover repayment of the debt as well as interest.
- (viii) Any other instruments such as Letter of Comfort/Letter of Assurance/Letter of Undertaking shall not be issued by the State Government.

5. Criteria for giving Govt. Guarantee

The guarantee shall be given only in the public interest as outlined in para-2, for a specified period, renewable in case considered fit. The borrower availing of loan on the cover of the Govt. guarantee shall not raise any further loan or alienate its assets without prior approval of the Finance Department.

- (i) No Govt. guarantee shall be given to any private individual or institution or company unless share capital contribution of Government or any other public

sector unit is more than 50%.

- (ii) No Govt. guarantee shall be given unless accounts of the borrowing organisation have been finalized and audited for last two years.
- (iii) The Govt. may continue to give performance guarantee in the interest of development of infrastructure projects.
- (iv) Govt. will charge guarantee commission subject to maximum of one percent. However, depending on the default and risk of the project, the Govt. may enhance the rate of commission.

6. Examination of Guarantee proposal by Finance Department

The Finance Department while examining the guarantee proposal will ensure that the total outstanding Government guarantees as on 1st day of April every year shall not exceed 60% of State's Own Tax and Non-Tax Revenue of the second preceding year, as reflected in the books of accounts maintained by the Accountant General. The State Government shall not give guarantees aggregating to an amount exceeding 0.5% of the GSDP of preceding year in any financial year beginning with the financial year 2024-25.

7. Cabinet approval for Guarantee

Ordinarily, all cases of initial sanction and also for renewal and extension of guarantee should be submitted by the Administrative Department to the Cabinet in shape of Memorandum with prior consultation with Finance Department for obtaining approval. While submitting Cabinet Memorandum for scrutiny and concurrence by Finance Department, the Administrative Department should clearly indicate the detailed status of the organisation, Share Capital investment by Govt. and Non-Govt. sources, profit / loss position, Govt. loan incurred (repaid and balance outstanding), earlier Govt. guarantee, if any given and outstanding, staff position (sanctioned strength and present strength), engagement/ disengagement of contract employees, justification of Govt. guarantee for the public interest as defined at Para- 2 & 3 above, viability of the organisation for repayment of loan and consent for payment of guarantee commission to Govt. in the prescribed rate etc. Along with the Cabinet Memorandum the Administrative Department should also submit the clear position of the organisation in brief in the prescribed checklist annexed in Annexure-I for better appreciation of the proposal. But in urgent cases, the guarantee may be given with the approval of the Finance Minister and Chief Minister and all such cases must be submitted to the Cabinet for ratification and post-facto approval.

8. Guarantee Commission

The guarantee commission in any case of guarantee shall be recovered on the maximum amount of guarantee sanctioned irrespective of the amount availed or outstanding on 1st April each year till liquidation of loan. Any fraction period for sanction of guarantee and liquidation of loan shall be treated as one year for calculation of guarantee commission. The borrowing organisations are also required to pay guarantee commission for one year in the prescribed rate in case of adhoc borrowing from the financial institutions. The guarantee commission shall be deposited in the Treasury under the Head “0075-Miscellaneous General Services-108-Guarantee Fee” and the copy of the Treasury Challan is to be made available to Administrative Department and Finance Department as well.

(1) Guarantee fees will be based on risk rating and tenor:-

Category	Less than or equal to 5 years	More than 5 years
A	0.50	0.60
B	0.70	0.90

1. Guarantee fees is to be paid on the total guaranteed amount from date of signing of the loan agreement on pro-rate basis for first year.
2. Similarly, in the subsequent years, guarantee fees will be payable for the outstanding guarantee amount plus normal Interest as on 1st April of the Financial year. The guarantee fee is not paid on the due date, i.e.; by 30th April of Financial year, fee rate will be double.

Following case in illustrated the calculated of guarantee fee for a loan which falls under category ‘A’ of having tenor of 8 years:-

Sl. No.	Calculation of Guarantee Fee	Due date for payment of Guarantee Fee in advance	Loan Amount	Rate of Guarantee Fee	No. of days	Amount of Guarantee Fee
1.	Loan agreement Signing on 20 th December, 2020 (Amount of uarantee Rs. 500 crore)	20 December, 2020	500.00	0.60%	102 days (from 20.12.2020 to 31.03.2021)	83,83,562
2.	Principal	1st April (to	212.00	0.60%	365 days	1,27,20,000

outstanding Plus normal Interest As on 1st April, 2021 in Sub sequent years guarantee fee to be paid only on the reduced Principal Plus Interest.	be paid by 30th April to avoid penal guarantee fee.)	crore 12 crore as normal Interest assuming Rs. 200.00 crore has been drawn.			
---	--	--	--	--	--

(2) Guarantee Redemption Fund :-

Receipts Guarantee Commission will be transferred in Guarantee Redemption Fund in Public Account to make Provision in Budget every year.

9. Sanction of Guarantee

At the time of sanctioning a fresh guarantee, the previous cases of guarantee, if any, given in favour of the borrowing institution should be examined in detail and the position of the outstanding dues against those guaranteed loans should be reflected in the guarantee sanction order for obtaining the concurrence of Finance Department. A standard format for the purpose is annexed in Annexure-II which should be used hence-forward for sanction of guarantee and the copies of the guarantee sanction orders should be made available to the A.G. (Audit) Jharkhand, Finance Department (C & I Branch) and Reserve Bank of India as well.

10. Execution of Agreement

- (i) After guarantee is sanctioned, the borrower shall execute an agreement with Government in the form prescribed and annexed in Annexure-III for payment of principal, interest, guarantee commission and due performance of other obligations. The agreement shall have to be vetted by F.D. with reference to the terms and conditions imposed while agreeing for guarantee.
- (ii) In case the borrower has not executed agreement to avail loan from the financing institution on the basis of the guarantee sanctioned by Administrative Department, the Administrative Department shall take immediate step to cancel the guarantee with prior concurrence of Finance Department so that guarantee fee will not be charged by Finance Department.

11. Reduction of Guarantee

Reduction/ rephrasing of guarantee on account of repayment by the borrowing institution will be considered on merit with the consent/ clearance of the lending institution and prior concurrence of the Finance Department, so that the guarantee commission will be charged on the reduced amount only.

12. Liquidation of Loan and Cancellation of Guarantee Documents

Whenever any guaranteed loan has been liquidated fully, the borrowing institution should obtain clearance certificate from the financial institution and move Finance Department through the Administrative Department for closure of the Government guarantee and for cancellation of original guarantee documents so that further guarantee Fee will not be charged by Finance Department on account of liquidation of loan. In the absence of such cancellation, the borrowing institution shall continue to pay the guarantee commission until such cancellation is made.

13. Maintenance of Ledger and Submission of Periodical Report

Administrative Department will maintain the guarantee ledger specifying the amount of guarantee sanctioned, actual amount of loan availed, name of the financing institution, loan repaid (principal & interest), balance outstanding, rate of guarantee commission, guarantee commission due, guarantee commission paid, guarantee commission outstanding G.O.-wise which is subject to Audit by A.G, (Audit) Jharkhand and send periodical report (in every six months i.e. 1st week of July and 1st week of January) to Finance Department so as to enable the Finance Department to prepare a comprehensive report in shape of Explanatory Memorandum to be placed before the State legislature on the liabilities that state may incur in future. This ledger shall be maintained in format enclosed at Annexure-IV.

14. Review of Guarantee

Each case of guarantee should be periodically reviewed at least twice in a year by the Administrative Department to see that the need for guarantee continues and that Government interest continues to be safeguarded. For this purpose, published account of the borrower should be scrutinised and periodical reports etc. called for from the borrower as also from the Government representative on the Board of Management, if any. Whenever justified, action to withdraw the guarantee should be taken by the Administrative Department. The borrowing institution shall have to furnish half-yearly return to Administrative Department and Finance Department.

15. Default in repayment and liability of Government

- (i) For default on the part of the borrower in repayment of loan / repayment of interest, sums paid by Government to the lending institution in discharge of

guarantee shall be treated as sum due from the borrower to the Government. These sums together with interest thereon at such rate as may be determined by Government from time to time, will be recoverable from the grants, subsidy, if any, payable by Govt. to the borrower, whenever possible.

- (ii) Any claim arising out of a guarantee should be lodged with Government within one month from the expiry of the period of guarantee, failing which the liability of the Government will cease towards any loss or damage caused to a lending institution because of default of the borrower in discharging its obligation to the lending agency during the period of validity of the guarantee.
- (iii) The guarantee cover shall be limited only to the payment of principal and normal interest in case of default. Government of India shall not be liable to pay any penal interest/any other charges.

16. Revocation of Guarantee

If at any time during the continuance of the guarantee, Government feel that the activity of the borrower/lending institution is detrimental to the interest of the State Government, the latter shall have the option, subject to the condition stipulated in the agreement, if any, with the lending institution and after giving 30 (thirty) days notice to the lending institution and the borrower, to revoke the guarantee so far as it relates to future transaction covered thereby. Administrative Departments are competent to revoke guarantee whenever justified under intimation to Finance Department.

17. Placing before the State Legislature

At present, the Finance Department is placing before the Jharkhand Legislative Assembly the guarantee position in an Appendix in the Explanatory Memorandum. Besides this, the guarantee position is also being indicated in the “Budget At-a-Glance”, which is being placed in the Jharkhand Legislative Assembly. But these information so placed are not adequate to indicate the quantum of liabilities the State Government have already incurred. It is, therefore, necessary that the guarantee position should be placed before the Jharkhand Legislative Assembly separately and this would include interalia the following :-

- (i) The institution-wise total guarantee given, guarantee outstanding, guarantee fees payable, guarantee fees paid and the guarantee fees outstanding.
- (ii) The details of the institutions from which the guaranteed loan availed and the position of the guaranteed loan and interest thereon paid or defaulted.
- (iii) The notice received by the Finance Department to discharge the contingent liabilities arising out of default of the concerned organisations in not discharging the same in time.

- (iv) The particulars of the contingent liabilities already discharged and likely to be discharged.
- (v) The loan and guarantee position and other liabilities, if any.
- (vi) Any other relevant information affecting the State finances arising out of the guarantees given by the State Government.

18. Administrative Departments shall ensure that all guarantees are reviewed every year. The monitoring or review undertaken should examine whether the borrower is discharging repayment obligations or interest obligations as per terms of the loan agreement, whether the repaying capacity for the loan and guarantee amount is imposed in any manner, and whether all covenants and conditions are being religiously followed. The Administrative Departments should undertake these reviews. A copy of the review report including on timely and correct payment of guarantee fees, shall be forwarded by the Administrative Departments to the Finance Departments by 30th April every year for the previous financial year.

The Finance Departments would be responsible for ensuring that the annual reviews are carried out by the Administrative Departments concerned. They shall also ensure that a register of guarantees is maintained:

- (i) to keep a record of guarantees;
- (ii) to retain information required from time to time in respect of guarantees;
- (iii) to keep record of the annual reviews to see that these are carried out regularly;
- (iv) to keep record of guarantee fee;

19. This supersedes all the previous instructions/clarifications issued on regulating government guarantee.

By Order of the Governor,

Prashant Kumar,
Secretary to Government.

ANNEXURE – I**Check list for processing Guarantee proposal by the Administrative Department**

1. Name of the organisation in whose favour guarantee is proposed.
2. Status of the organisation (in one paragraph)
3. **Share Capital invested so far from different sources.**
 - (i) By Government
 - (ii) Non-Government
 - (iii) Others, if any
4.
 - (i) Profit/Loss of the organisation for the last three years as per the Audit.
 - (ii) Dividend declared so far.
5.
 - (i) Progressive amount of Government loan sanctioned up to the end of the previous financial year.
 - (ii) Loan repaid up to the end of the previous financial year
 - (iii) Balance loan outstanding up to the end of the previous financial year
 - (a) Principal.
 - (b) Interest.
 - (iv) Whether the Government loans are serviced regularly, if not the brief reasons there-of.
6.
 - (i) Progressive amount of guarantee sanctioned.
 - (ii) Guaranteed loan outstanding
 - a) Principal
 - b) Interest
 - (iii) Whether guaranteed loans (Principal + Interest) are serviced regularly, if not, the brief reasons there of.
 - (iv) Guarantee fee due as on 1st April of the year
 - (v) Guarantee fee paid as on date

- (vi) Guarantee fee outstanding as on date
 - (vii) Reasons for default in payment of guarantee fee, if any.
7. Ways and Means Advance
- (i) Sanctioned amount and date of sanction.
 - (ii) Outstanding as on date
 - a) Principal
 - b) Interest
 - (iii) Whether Ways and Means Advance are serviced regularly; if not, the brief reasons there of.
8. Staff Position
- (i) Sanctioned Strength
 - (ii) Present Strength (in position)
 - (iii) Contract employee in position, if any
 - (iv) Steps taken to disengage the contract employees
9. Amount of present guarantee sought for
10. Justification of the proposed Government guarantee for the public interest including repayment of proposed guaranteed loan by the borrowing organisation, if allowed, along with payment of guarantee fee to be levied by Government.

Signature and Seal of the
Head of the borrowing organization.

Counter signature of the
Principal Secretary of the Department.

ANNEXURE – II**FORMAT FOR SANCTION OF GOVERNMENT GUARANTEE**

To

The Managing Director/ Chairman

Sub :- Sanction of State Govt. guarantee in favour of to borrow
loan of Rs..... from for the purpose of

.....

Sir,

I am directed to convey the sanction of Government guarantee for loan of Rs.....

(Rupees.....) only in favour of

..... (borrowing institution) to borrow loan of Rs.....
(Rupees.....) from the (Financial

Institution) @.....% interest per annum which will be repaid within years for implementation
of..... programme.

The guarantee commission @% will be charged once / every year till final liquidation of the
loan.

The detailed particulars of the previous loan alongwith the present loan and the mode of
repayment etc of the borrowing institution is enclosed in the proforma annexed here with.

The Accountant General (Audit) Jharkhand is being informed.

This has been concurred in by Finance Department vide their UOR No..... dated

Sanctioning Authority

Memo No. Dt.

Copy alongwith the proforma forwarded to (lending financing institution)
for information and necessary action.

Sanctioning Authority

Memo No. Dt.

Copy alongwith the proforma forwarded to Accountant General (Audit) Jharkhand,
Ranchi for information and necessary action.

Sanctioning Authority

Memo No._____. Dt._____

Copy alongwith the proforma forwarded to (other concerned authorities) for information and necessary action.

Sanctioning Authority

Memo No._____. Dt._____

Copy alongwith the proforma forwarded to Finance Department for information and necessary action.

Sanctioning Authority

Memo No._____. Dt. _____

Copy alongwith the proforma forwarded to Reserve Bank of Indi, Regional Office, 4th Floor, RRDA Building, Kutchery Chowk, Ranchi for information and necessary action.

Sanctioning Authority

PROFORMA FOR SANCTION OF GOVERNMENT GUARANTEE

1. Name of the Borrowing Institution :-
2. Name of the Creditor (Financing Institution) :-
3. Amount of guarantee sanctioned :-
4. Purpose of Loan :-
5. Period of Loan:-
6. Rate of interest:-
7. Mode of repayment :-
8. Other conditions attached to the loan, if any :-
9. Rate of guarantee fee: -
10. Progressive total sum guaranteed (including the present one) till date: -
11. Total amount of loan availed against the previous guarantee
12. Amount outstanding against the availed loans shown above

	Defaulted instalment amount as on	Balance not due as on	Final Balance as on
(1)	(2)	(3)	(4)
(a) Principal			
(b) Interest			

13. Action taken to clear the defaulted Principal and Interest

Sanctioning Authority

ANNEXURE - III**FORMAT FOR EXECUTION OF AGREEMENT**

This agreement is made on _____ day _____ 200 between _____ having his office at _____ hereinafter referred to as “Principal Debtor” (Which expression shall unless excluded by or it be repugnant to the context be deemed to include its successors and assignees) of the one part and the GOVERNOR OF JHARKHAND hereinafter referred to as “Government” (Which expression shall unless excluded by or it be repugnant to the context or meaning there-of be deemed to include his successors in Office and assignees) of the other part.

Whereas the principal debtor has requested the Government to guarantee due repayment by the principal debtor to the _____ (hereinafter referred to as the lender) of the loan of Rs. _____ agreed to be lent and advanced by the lender to the principal debtor as per the terms and conditions appearing in the schedule to this agreement together with interest thereon which the Government has agreed to do on the terms and conditions hereinafter appearing and sanctioned guarantee of Rs. _____ in favour of the principal debtor in _____ Deptt. G.O. No _____ dt. _____ (Copy enclosed).

Now this Deed witness AND it is hereby agreed by and between the parties hereto as follows:-

1. The principal debtor agrees to pay to the Government of Jharkhand a guarantee fee at the rate of _____% per annum on the maximum amount of guarantee sanctioned till liquidation of the loan as prescribed under the guarantee rule issued by Finance Department in Resolution No. _____ dt. _____.
2. In case of default in due payment of fees by the principal debtor to the Government as aforesaid without prejudice to any other rights and remedies available to the Government, it shall have the right and be entitled to recover from the principal debtor the amount due and payable by the principal debtor as a Public demand under the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914, or any statutory modifications thereof for the time being in force.

3. In case the principal debtor defaults in making repayment of principal and/or payment of interest on due dates and the Government is required to pay the same to the lender under the terms of the guarantee, the amount so paid (principal and interest) by the Government to the Lender shall be treated as loan and shall be recoverable from the principal debtor carrying interest at a rate not less than that charged by the lender. Such interest shall be calculated from the date of payment made by Government to the lender. Other terms of repayment like period of repayment will be suitably fixed.

Provided that in case the principal debtor does not pay the amount according to terms and conditions stipulated, it shall be open to the Government to recover the entire amount from the principal debtor, without prejudice to any other remedies available, as a public demand under the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 or any statutory modification thereof for the time being in force.

4. Within nine months from the end of the Accounting Year of the principal debtor, the principal debtor shall send every year during the subsistence of the said guarantee to the Government in Finance Department and to the Accountant General, Jharkhand return/statement certified to be true by a qualified Auditor approved by Government giving full and complete information of his/its assets and liabilities, profit and loss etc. If, however, the accounts could not be audited within the period aforesaid, the principal debtor shall furnish unaudited accounts. As soon as the accounts are audited, the same should be furnished within one month of receipt of such audited accounts. The principal debtor shall, at all times hereafter during the subsistence of the guarantee, produce the records, accounts, stores and stocks etc. to Government and Accountant General, Jharkhand for audit and inspection, as and when required by the Government or the Accountant General, Jharkhand.

5. In consideration of the aforesaid, the principal debtor both hereby agrees that in order to secure Government in respect of financial obligations undertaken hereunder by the deed of guarantee executed / to be executed by the Government in favour of the lender,

6. the principal debtor shall furnish to the Government such security as the Government may require the principal debtor to furnish including a mortgage on his entire assets both movable and immovable subject to then existing charge, if any, thereon.

7. If at any time during the subsistence of the continuing guarantee Government feel that the activity of the Principal Debtor / Lending Institution is detrimental to the interest of the State Government, the State Government shall have the option after giving 30 days notice to the Lending Institution and the debtor to revoke the guarantee as to the future transactions covered thereby.

In witness whereof the principal debtor has set his hand and affixed his/its common seal in the manner as provided by law and the Secretary to Government____Department has for and on behalf of the Governor of Jharkhand set his hand and affixed the seal of his office thereunto the day and year first above written.

Schedule containing the terms and the conditions of the loan offered by the lender.

1. Amount of Loan_____
2. Term of Loan_____
3. Rate of interest_____
4. Repayment term_____
5. Securities offered_____

Signed and sealed and delivered by_____Sri_____
 Managing Director etc.....above-named pursuant to
 Resolution No.....dated.....of the
 Board of Directors (General Body) of the
 in the presence of witnesses-

Name and full address

- 1.
- 2.

SECRETARY TO GOVERNMENT OF JHARKHAND

_____**DEPARTMENT**

For on behalf of the Governor of Jharkhand in presence of witnesses.

Name and full address

- 1.
- 2.

Framework for Risk assessment of Guarantee proposals**Annexure -V**

Departments are required to undertake risk assessment of the proposals received from PSUs before sending them to Department of Finance. Following ratios may be calculated for assessing the risk:-

- 1. Debt Service Coverage Ratio :-** It indicates the ability of a company to use its operating income to repay all its debt obligations, including repayment of principal and interest on both short-term and long-term debt.

Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA)**Interest + Principal**

Category A	Category B
More than or equal to 1.25	Less than 1.25

- 2. Current Ratio (CR) :-** It depicts the ability to meet short-term liabilities from selling short-term assets and calculated as under :

Current assets

Current liabilities

Category A	Category B
More than or equal to 1.5	Less than 1.5

- 3. Debt to Equity Ratio (D/E) :-** It depicts the ability to pay off debt in future and calculated as under :

Total liabilities

Shareholders' equity

Category A	Category B
Less than or equal to 1	More than 1

Overall Risk Rating	Less than or equal to 1.5	More than 1.5
	Category A	Category B

Example : The above framework has been illustrated as under :

	DSCR*	D/E*	CR*	Calculation = Average of Ratings Assigned)	Overall risk rating
Company 1	1.75	0.25	2.10	= 1 (1+1+1)/3)	Category A
Company 2	1.20	1.20	1.50	= 1.67 (2+2+1)/3)	Category B
Company 3	0.90	1.80	0.80	= 2 (2+2+2)/3)	Category B

Note : Overall Risk Rating shall be calculated by taking simple mean of all the ratios by assigning 1 and 2 values to 'A' or 'B' category.

* Three years' average ratio may be considered for calculating the overall risk rating.

PROFORMA FOR GUARANTEE LEDGER TO BE MAINTAINED BY THE ADMINISTRATIVE DEPARTMENTS

Sl. No.	Maximum Amount of Govt. Guarantee sanctioned	Sanction order No & date	Rate of Guarantee Commission	Purpose or nature of Guarantee	Period of Guarantee	Amount of Loan availed from the Financing Institution on the Strength of Govt. Guarantee	Name of the Financing Institution	Rate of Interest	Loan repaid		Outstanding Loan		Guarantee Fee Due	Guarantee Fee paid	Outstanding Fee	Date of Liquidation of Loan, if any
									Principal	Interest	Principal	Interest				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
